उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक : 22.03..2017

प्रेस विज्ञप्ति

हज–1438 (हि0) – 2017 के प्रोवीज़नल चयनित हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि उनके बैंक रेफरेन्स नम्बर, प्रत्येक कवर हेड के मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस के माध्यम से भेज दिये गये हैं। हज आवेदन फार्म के साथ बुकलेट में उपलब्ध एडवांस धनराशि की पे–इन–स्लिप पर हज यात्री को अपना बैंक रेफरेन्स नम्बर, कवर नम्बर अंकित कर रु0 81,000/– (रुपए इक्यासी हज़ार) प्रत्येक दिनांक 05 अप्रैल 2017 तक जमा किया जाना है, हज कमेटी आफ इण्डिया की प्रति एवं मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट एक फोटो एवं फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ कार्यालय उ0प्र0 राज्य हज समिति को अन्तिम तिथि दिनांक 13.04.2017 तक अवश्य उपलब्ध कराना है।

वेबसाइट **www.hajcommittee.gov.in** पर अपना कवर नम्बर अंकित कर बैंक रेफरेंस नम्बर की जानकारी प्राप्त की सकती है। पे–इन–स्लिप तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी प्रोवीज़नल चयनित हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1–प्रत्येक हज यात्री को रु0 81,000/– (रुपए इक्यासी हज़ार) अग्रिम, हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में संचालित खाता संख्या 32175020010 **FEE TYPE-25** एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया में संचालित खाता संख्या 318702010406009 **(Haj Account)** में किसी भी शाखा में दिनांक 05 अप्रैल 2017 तक जमा किया जा सकेगा।

2–ऑनलाइन पेमेन्ट वेबसाइट **www.hajcommittee.gov.in** पर ई–पेमेन्ट में जाकर एडवांस हज पेमेन्ट में अपना बैंक रेफरेन्स नम्बर डाल कर किया जा सकेगा।

3–पे–इन–स्लिप की हज कमेटी आफ इण्डिया की मूल प्रति, मूल पासपोर्ट तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ भेजा जाना है।

4–मूल पासपोर्ट जिसके पीछे नीचे एक कलर फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउण्ड साइज़ **3.5 X 3.5** टेप करके भेजा जाना है।

5–उपरोक्त समस्त सामग्री उ0प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर प्रत्येक दशा में दिनांक 13–04–2017 तक प्राप्त हो जाना आवश्यक है।

6–निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के हज यात्रियों को वरीयता क्रम में मौक़ा दिया जायेगा।

7–पे–इन–स्लिप व फिटनेस सर्टिफिकेट हज आवेदन करते समय दी गयी बुकलेट में भी उपलब्ध हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड/एम.बी.बी.एस/रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी होना आवश्यक है।

8–निरस्तीकरण हेतु निर्धारित प्रारुप वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है।

9–अन्य जानकारी हेल्पलाइन नम्बर **0522-2617120, 8009091139, 9839051096, 9450022717, 7084442698, 9651909596, 9044525886, 9532730693, 9918966447, 9235610701, 9695323838** पर प्राप्त की जा सकती हैं।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य हज समिति